



World's Gold Standard



अंक- प्रथम
सितम्बर 2026

ई-पत्रिका

चायनामा



चायनामा

संरक्षक

श्री सी.मुरुगन, भा.प्र.से
उपाध्यक्ष

प्रधान संपादक

डॉ. ऋषिकेश राय,
उपनिदेशक (राजभाषा)

कार्यकारी

शांतना दास
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी

संपादक मंडल

- श्री अर्जुन कुमार पास्वान
सहायक निदेशक (राजभाषा)
- श्रीमती वी.वी.थंकी
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी
- श्री आनंद राय
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी
- श्री शैलेन्द्र ठाकुर
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी
- श्री मिश्री चौधरी
वरिष्ठ सचिवीय सहायक



संपादकीय “चाय के संग, हिंदी के रंग”

चाय हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है, जो हमें सहज रूप से एक-दूसरे से जोड़ती है। दिन की शुरुआत हो या किसी नए विचार पर चर्चा, चाय की एक प्याली हर पल को खास बना देती है। इसी अपनत्व और जुड़ाव की भावना के साथ “चायनामा” का पहला अंक आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हुए हमें खुशी हो रही है।

“चायनामा” केवल एक ई-पत्रिका नहीं, बल्कि टी बोर्ड परिवार के विचारों, अनुभवों और रचनात्मकता को एक साथ लाने का एक छोटा-सा प्रयास है। इसके माध्यम से हम राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी प्रतिभा साझा करने का अवसर देना चाहते हैं।

इस अंक में आपको राजभाषा से जुड़ी गतिविधियों के साथ चाय और चाय उद्योग से संबंधित रोचक जानकारी, साहित्यिक रचनाएँ, कार्यालयों की झलक और कर्मचारियों की रचनात्मक प्रस्तुतियाँ पढ़ने को मिलेंगी। हमारा प्रयास है कि “चायनामा” पढ़ते हुए आपको जानकारी भी मिले और आनंद भी आए।

राजभाषा हिंदी का प्रयोग केवल कार्यालयी कार्यों तक सीमित न रहकर हमारे दैनिक व्यवहार का हिस्सा बने, यही हमारा प्रयास है। सरल और सहज हिंदी में कार्य करना न केवल हमारी जिम्मेदारी है, बल्कि यह हमारी भाषा के प्रति सम्मान भी है।

हमें विश्वास है कि “चायनामा” सभी पाठकों को पसंद आएगी और इसमें प्रकाशित रचनाएँ एवं सामग्री उन्हें अपनी रचनात्मकता को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगी। आपके सुझाव और सहयोग इस पत्रिका को और बेहतर बनाने में हमारी मदद करेंगे। आइए, चाय की प्याली के साथ हिंदी के शब्दों का भी आनंद लें और राजभाषा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करें।

चाय की खुशबू के साथ हिंदी के शब्दों को भी फैलाएँ,
और मिलकर “चायनामा” को टी बोर्ड परिवार की अपनी पत्रिका बनाएँ।

शुभकामनाओं सहित,

शांतना दास,
कनिष्ठ अनुवादक
टी बोर्ड, मुख्यालय



सी. मुरुगन, भा.प्र.से.
उपाध्यक्ष
C. MURUGAN, IAS
Deputy Chairperson



टी बोर्ड * भारत

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

TEA BOARD * INDIA

(Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India)

14, बी. टी. एम. सरणी, (ब्रेबोर्न रोड) कोलकाता - 700 001

14, B. T. M. Sarani, (Brabourne Road), Kolkata - 700 001

दूरभाष : +91 33 2221 5717

e-mail : dychairman.tbi@gov.in, dychteaboard@gmail.com

संदेश



यह मेरे लिए हर्ष का विषय है कि टी बोर्ड, राजभाषा विभाग द्वारा “चायनामा” ई-पत्रिका के प्रथम अंक का प्रकाशन किया जा रहा है। इस नए प्रयास के लिए मैं राजभाषा विभाग एवं पत्रिका से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ देता हूँ।

भाषा हमारे विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम होने के साथ-साथ हमें एक-दूसरे से जोड़ने का कार्य भी करती है। हिंदी के सरल और सहज प्रयोग से कार्यालयीन कार्यों में संवाद को और प्रभावी बनाया जा सकता है। राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

“चायनामा” इस दिशा में एक सुंदर पहल है। यह पत्रिका न केवल टी बोर्ड में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करेगी, बल्कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों की रचनात्मक प्रतिभा को भी सामने लाने का अवसर देगी। चाय और चाय उद्योग से जुड़ी जानकारी, राजभाषा संबंधी गतिविधियाँ, साहित्यिक रचनाएँ तथा टी बोर्ड की विभिन्न गतिविधियाँ इस पत्रिका को उपयोगी और रोचक बनाएँगी।

मुझे विश्वास है कि “चायनामा” के माध्यम से हिंदी के प्रति रुचि और उत्साह बढ़ेगा तथा अधिक से अधिक अधिकारी और कर्मचारी हिंदी में अपने विचार एवं रचनाएँ साझा करने के लिए प्रेरित होंगे।

इस प्रथम अंक के प्रकाशन पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ। आशा है कि “चायनामा” आने वाले समय में टी बोर्ड परिवार के बीच संवाद और रचनात्मकता का एक सुंदर माध्यम बनेगी।

“चायनामा” के प्रथम अंक के सफल प्रकाशन के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

सि. मुरुगन

सी. मुरुगन, भा.प्र.से.

उपाध्यक्ष



Website : www.teaboard.gov.in



टी बोर्ड ★ भारत

(भारत सरकार के अधीन, वाणिज्य विभाग)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय)

14, बी. टी. एम. सरणी, (ब्रेबोर्न रोड) कोलकाता - 700 001,

दूरभाष : 033 2235-1331, वेबसाइट : www.teaboard.gov.in



TEA BOARD ★ INDIA

(Under Govt. of India, Deptt. of Commerce)

Ministry of Commerce & Industry)

14, B.T.M. Sarani, (Brabourne Road) Kolkata - 700 001

Tel : 033 2235-1331, Website : www.teaboard.gov.in



संदेश

‘चायनामा’ ई-पत्रिका का प्रकाशन अत्यंत प्रीतिकर है। उसके माध्यम से बोर्ड के कार्मिकों की रचनात्मकता को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ चाय के बारे में तकनीकी एवं विकासात्मक समाचारों एवं सूचनाओं के प्रचार-प्रसार में भी यह सहायक होगी। राजभाषा के प्रचार की दिशा में जागरूकता वृद्धि में यह महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगी।

इस उद्यम की सफलता हेतु मेरी शुभकामनाएँ। सम्पादक मंडल को बधाई।



(डॉ. ऋषिकेश राय)

उपनिदेशक (राजभाषा)



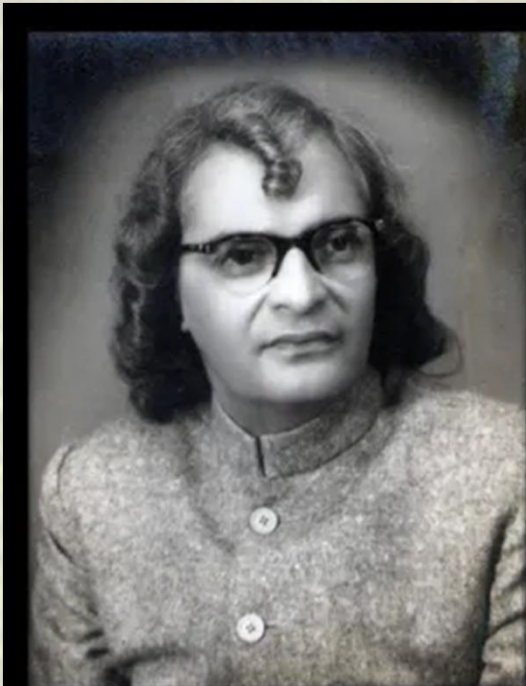
यदि आप अपना पत्र हिन्दी में लिखेंगे तो उतनी ही जल्दी जवाब मिलेगा, जितना कि अंग्रेजी में लिखने से मिलता है।

अनुक्रमनिका

क्र.सं	लेख	लेखक/ लेखिका	पृष्ठ सं
1	संपादकीय	शांतना दास कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	1
2	संदेश	सी.मुरुगन उपाध्यक्ष	2
3	संदेश	डॉ. ऋषिकेश राय उपनिदेशक राजभाषा	3
4	भारत की राजभाषा नीति	राजभाषा विभाग	5-6
चाय संबंधी लेख			
5	चाय व चाय प्रसंस्करण: एक साधारण परिचय	डॉ. महीपाल सिंह निदेशक (अनुसंधान)	7-9
6	चायंकन (CHAAYANKAN)	चाय विकास टीम टी बोर्ड कोलकाता	10-11
7	टी मार्क का विमोचन	चित्र	12
8	21 मई अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर कार्यक्रम	लेख	13-15
9	अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस	सिलीगुडी कार्यालय	16-17
10	अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस	टी बोर्ड मुख्यालय	18-19
11	राजभाषा कार्यशाला कूनूर	चित्र	20
12	मुख्यालय, कोलकाता में राजभाषा कार्यशाला में अधिकारियों की उपस्थिति	चित्र	21
साहित्यिक कोना			
13	यादगार भोपाल	श्रीमती श्रीला बंदोपाध्याय विकास अधिकारी, टी बोर्ड कोलकाता	22-25
14	भारत में AI कानूनों और नियमों का महत्व	मीनाक्षी दास, कानूनी सलाहकार	26-28
15	भारत और इंडिया में अंतर	रबीन्द्र झा, चालक, टी बोर्ड, कोलकाता	29
कर्मचारी प्रतिभा			
16	कविता	आनंद राय, कनिष्ठ अनुवादक टी बोर्ड, नई दिल्ली	30
17	कविता (चाय)	अर्जून कुमार पास्वान सहायक निदेशक (राजभाषा)	31

अनुक्रमनिका

18	कविता (तेरे दुनिया के कई रंग हज़ार)	सुरजित चंदा सहायक	31
टी बोर्ड की गतिविधियाँ			
19	कौशल पाठ्यक्रम	चित्र	32
20	टी मार्क	विज्ञापन	33



"शब्दों के कंधों पर
छंदों के बंधों पर
नहीं आना चाहता
वे बहुत बोलते हैं..."

- सुमित्रानंदन पंत
20 मई 1900- 28 दिसंबर 1977

सुमित्रानंदन पंत ने हिंदी भाषा को राष्ट्र की
अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत माना है।

भारत की राजभाषा नीति

भारत अनेक भाषाओं और बोलियों वाला देश है। यहाँ विभिन्न भाषाएँ हमारी समृद्ध संस्कृति, परंपरा और विविधता का परिचय देती हैं। भाषा के इस विविध स्वरूप को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में संघ के सरकारी कार्यों में भाषाओं के प्रयोग के संबंध में स्पष्ट व्यवस्था की गई है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार, संघ की राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी है। संविधान में संघ के सरकारी कार्यों में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की भी व्यवस्था की गई है। बाद में राजभाषा अधिनियम, 1963 के माध्यम से हिंदी और अंग्रेजी के प्रयोग से संबंधित प्रावधानों को और स्पष्ट किया गया।

भारत की राजभाषा नीति का प्रमुख उद्देश्य संघ के सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना और इसे अधिक से अधिक व्यवहार में लाना है। इसके लिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में हिंदी में कार्य करने, हिंदी प्रशिक्षण देने तथा कर्मचारियों को हिंदी के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करने की व्यवस्था की गई है।

राजभाषा नीति का महत्व

राजभाषा नीति का हमारे सरकारी कामकाज में विशेष महत्व है। इसका उद्देश्य सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ कार्यालयीन कार्य को सरल, स्पष्ट और प्रभावी बनाना है।

जब सरकारी कामकाज सरल भाषा में होता है, तो सूचनाओं और विचारों को समझना आसान हो जाता है। इससे अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों के बीच संवाद बेहतर होता है। हिंदी के प्रयोग से कार्यालयों में अपनी भाषा के प्रति सम्मान और अपनत्व की भावना भी मजबूत होती है।

राजभाषा नीति हमें यह अवसर देती है कि हम अपने दैनिक कार्यालयीन कार्यों में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करें। पत्राचार, टिप्पणियों, बैठकों, रिपोर्टों, आदेशों और अन्य कार्यों में सरल हिंदी का प्रयोग कार्य को अधिक सहज बना सकता है।

इस नीति का एक महत्वपूर्ण पक्ष भारतीय भाषाओं का सम्मान भी है। हिंदी को बढ़ावा देने का उद्देश्य किसी अन्य भारतीय भाषा को कम महत्व देना नहीं है। भारत की सभी भाषाएँ हमारी सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

राजभाषा हिंदी : हमारी जिम्मेदारी

राजभाषा का विकास केवल सरकारी नियमों से नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार और प्रयासों से होता है। यदि हम अपने कार्यालयीन कार्यों में हिंदी का सहज और नियमित प्रयोग करें, तो राजभाषा नीति को सफल बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं।

विभिन्न कार्यालयों में हिंदी कार्यशालाएँ, हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा तथा हिंदी प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं। इन गतिविधियों का उद्देश्य हिंदी के प्रति रुचि बढ़ाना और कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

राजभाषा हिंदी केवल सरकारी कामकाज की भाषा नहीं, बल्कि हमारे विचारों, भावनाओं और आपसी संवाद को सहज बनाने का माध्यम है। राजभाषा नीति की सफलता तभी संभव है, जब हिंदी का प्रयोग केवल निर्धारित अवसरों तक सीमित न रहकर हमारे दैनिक कार्यों का स्वाभाविक हिस्सा बने।

हम अपने छोटे-छोटे प्रयासों से इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं— सरल हिंदी में पत्र लिखकर, कार्यालयीन कार्य हिंदी में करके और अपने साथियों को भी हिंदी के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करके।

आइए, हम संकल्प लें कि हिंदी को केवल नियमों में नहीं, बल्कि अपने व्यवहार और कार्यों में स्थान देंगे। हमारी भाषा का सम्मान तभी सार्थक होगा, जब उसका प्रयोग सहजता, आत्मविश्वास और गर्व के साथ किया जाए।

एक कदम हिंदी की ओर,
एक कदम सरल संवाद की ओर
यही राजभाषा नीति की सच्ची
भावना है।

चाय व चाय प्रसंस्करण: एक साधारण परिचय **Tea & Tea Processing: A Simple Introduction**

- डॉ. महीपाल सिंह,
निदेशक (अनुसंधान)

चाय एक वानस्पतिक पेय पदार्थ है जिसका उत्पादन एक सदावहार पौधे की नाजुक पत्तियों व नवजात कलियों के प्रसंस्करण द्वारा किया जाता है। वस्तुतः, चाय एक पूर्ण शाकाहारी (**Vegan**) पदार्थ है।

- 1. चाय का नामकरण (Nomenclature of Tea):** 'चाय' (**Chai**) शब्द मंडारिन या कैंटोनीज भाषा में इस पदार्थ के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द 'चा' (**Cha**) से लिया गया है। इसी प्रकार, शब्द 'टी' (**Tea**) चीन के फुजियान प्रांत के तटीय क्षेत्र में स्थानीय मिन वोली में इस पदार्थ के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द 'टे' (**Te**) में लिया गया है। जिन देशों में यह पदार्थ उत्तरी चीन से भूमार्ग द्वारा पहुँचा वहाँ यह 'चाय' कहलाया जैसे भारत, रूस, ईरान तथा मध्यपूर्व में। दूसरी ओर, जिन देशों में यह पदार्थ दक्षिणी चीन के फुजियान प्रांत से समुद्रीमार्ग द्वारा पहुँचा वहाँ यह 'टी' कहलाया जैसे यूरोपीयन देशों में।

आज की तारीख में चाय के पौधे का सर्वमान्य वानस्पतिक नाम कामेलिया साइनेनसिम (**Camellia sinensis**) है। शब्द 'कामेलिया' मोरवियन मूल के प्रकृतिवादी ज्योर्ज जोसेफ कामेल (**Georg Joseph Kamel**) के लैटिनकृत गौत्रनाम 'कामेल' (**Camel**) से लिया गया है तथा शब्द 'माइनेनसिस' का लैटिन भाषा में अर्थ होता है 'चीन में' या 'चीन का'।

- 2. चाय की उत्पत्ति व प्रसार (Origin & Dissemination of Tea):** चीन को चाय का जन्मस्थान माना जाता है। एक कहानी के अनुसार, शेन मुंग (**Shen Nung**) एक प्रसिद्ध चीनी औषधज्ञ (**Herbalist**) थे तथा आदतन् उबला हुआ पानी पीते थे। सन् 2737 ईसापूर्व में शेन मुंग एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। जब उनके सहयोगी पानी उवाल रहे थे तभी इस पेड़ की कुछ पत्तियों उबलते हुए पानी में गिर गईं। परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई खुशबू ने शेन मुंग को बहुत आकर्षित किया तथा इस तरल को एक औषधि के रूप में पीने की सिफारिश की। यह पेड़ कामेलिया साइनेनसिम था।

औपनिवेशिक समय के दौरान चाय सबसे अधिक लाभदायक व्यापारिक वस्तुओं में से एक बन गई। सन् 1596 ईसवी में डच व्यापारियों ने एक व्यापारिक आधार स्थापित किया। सन् 1606 ईसवी में चाय पहली बार यूरोप पहुँची। 17वीं शताब्दी के मध्य तक दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चाय की लोकप्रियता बढ़ गई।

चाय की खेती के लिए अम्लीय मिट्टी, मौसम में आदता और वर्षा की अच्छी मात्रा की आवश्यकता होती है। वर्तमान में, एशिया, अफ्रीका से लेकर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और यूरोप से ऑस्ट्रेलिया तक दुनिया भर में चाय के पौधे की व्यावसायिक रूप में खेती की जाती है।⁸

चाय की खेती के लिए अम्लीय मिट्टी, मौसम में आदता और वर्षा की अच्छी मात्रा की आवश्यकता होती है। वर्तमान में, एशिया, अफ्रीका से लेकर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और यूरोप से ऑस्ट्रेलिया तक दुनिया भर में चाय के पौधे की व्यावसायिक रूप में खेती की जाती है। चाय की गुणवत्ता उस क्षेत्र विशेष से प्रभावित होती है जहाँ इसका वृक्षारोपण किया गया है। यह भी पाया गया है कि चाय की गमायनिक संरचना प्रसंगकरण के समय पर्यावरण की स्थिति के अनुसार बदलती है।

3. चाय के प्रकार (Kinds of Teas): चाय के ममस्त प्रकारों के उत्पादन हेतु प्रयुक्त पत्तियों का मूल स्रोत एक ही है कामेलिया साइनेनसिस। प्रसंस्करण प्रक्रिया और ऑक्सीकरण के कारण पत्तियों के आकार और रंग में परिवर्तन के आधार पर चाय के प्रकारों का नामकरण किया जाता है जैसे कि हरी चाय, काली चाय, ऊलॉंग चाय इत्यादि।

3.1 हरी चाय (Green Tea): हरी चाय के उत्पादन में प्रयुक्त पत्तियों का ऑक्सीकरण नहीं किया जाता है। काली चाय की तुलना में हरी चाय में पॉलीफेनॉल्स (**Polyphenols**) की मात्रा अधिक होती है।

3.2 काली चाय (Black Tea): काली चाय के उत्पादन में प्रयुक्त पत्तियों का पूर्ण ऑक्सीकरण किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप थियाफ्लेविन्स (**Theaflavins**) व थियाविजिन्स (**Thearubigins**) का निर्माण होता है। हरी चाय की तुलना में काली चाय में तेज स्वाद होता है तथा पॉलीफेनॉल्स की मात्रा कम होती है।

3.3 ऊलॉंग चाय (Oolong Tea): ऊलॉंग चाय के उत्पादन में प्रयुक्त पत्तियों का आंशिक रूप में ऑक्सीकरण किया जाता है। अर्थात्, ऊलॉंग चाय में हरी चाय और काली चाय दोनों की विशेषताएं होती हैं।

4. चाय प्रसंस्करण (Tea Processing): चाय प्रसंस्करण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं जैसे कि पत्तियों की तुड़ाई, ढुलाई, फैलाना, कुम्हलाना, रोलिंग, मुखाना, छंटाई, ग्रेडिंग, फायरिंग इत्यादि।

4.1 पत्तियों की तुड़ाई (Plucking): चाय के पौधे से नाजुक पत्तियों व नवजात कलियों को तोड़ना चाय प्रसंस्करण प्रक्रिया का पहला और महत्वपूर्ण कदम है। चाय की अच्छी गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए पत्तियों की तुड़ाई के कुछ घंटों के भीतर ही प्रसंस्करण शुरू किया जाना चाहिए क्योंकि प्रसंस्करण में देरी से किण्वन (**Fermentation**) की शुरुआत हो जाती है जिसका गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी लिए, आमतौर पर, पत्तियों की तुड़ाई सुबह के समय की जाती है ताकि उसी दिन चाय प्रसंस्करण की प्रक्रिया शुरू की जा सके।

4.2 पत्तियों की ढुलाई (Transportation): तुड़ाई के तुरंत बाद पत्तियों को फैक्टरी में पहुंचाया जाता है ताकि प्रसंस्करण की प्रक्रिया जल्दी से जल्दी शुरू हो सके। ढुलाई के दौरान अत्यधिक सवधानी वरतनी चाहिए ताकि उचित वातन को बनाए रखा जाए और पत्तियों को अत्यधिक रूप से न दबाया जाए।



4.3 पतियों को फैलाना (Spreading): पतियों को फैलाते समय पतियों को किसी भी तरह के गुच्छे बनने से बचने के लिए लंबाई और चौड़ाई के बीच समान रूप में फैलाना चाहिए। हवा का उचित प्रवाह बनाए रखा जाना चाहिए ताकि पतियों ज्यादा ऊपर न उठें।

4.4 पतियों का कुम्हलाना (Withering): चाय प्रसंस्करण में पतियों का कुम्हलाना या मुरझाना एक और महत्वपूर्ण कदम है जहां पतियों का भंडारण 10-20 घंटों के लिए किया जाता है ताकि पतियों में अतिरिक्त नमी निकल जाए। जब पतियों में लगभग 70% नमी रह जाए तब उन्हें प्रसंस्करण के लिए तैयार माना जाता है। कुम्हलाने की प्रक्रिया प्राकृतिक (**Natural**) या कृत्रिम (**Artificial**) हो सकती है। प्राकृतिक प्रक्रिया में पतियों को एक-दूसरे के ऊपर रखे गए टाट पर पतली परत में रखा जाता है तथा ताजी हवा की उपस्थिति में कम से कम 20 घंटे तक सुखाया जाता है। जबकि, कृत्रिम प्रक्रिया में पतियों को एक जाली पर रखा जाता है जिसमें परत की मोटाई करीब 20 सेमी तक हो सकती है। फिर जाली को एक सुरंग में रखकर उसमें गर्म हवा प्रवाहित की जाती है।

4.5 लोटन (Rolling): चाय प्रसंस्करण में लोटन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसे एक मशीन की मद्दत से संपन्न किया जाता है। लोटन मशीन में दो रोलर (**Roller**) होते हैं जिन्हें एक साथ रखा जाता है तथा विपरीत दिशा में घुमाया जाता है जो चाय की पतियों को धीरे से काटते, फाड़ते और मोड़ते हैं। लोटन मुख्य रूप से कोशिका झिल्ली (**Cell membrane**) को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है जो एन्जाइम (**Enzyme**) को पतियों के रासायनिक घटकों के साथ मिश्रित करने में सक्षम बनाता है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि लोटन के समय तापमान 30 डिग्री से कम होना चाहिए क्योंकि तापमान में वृद्धि होने से अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता में हास होता है।

4.6 शुष्कन (Drying): अभी तक की प्रक्रियाओं से गुजरी चाय में नमी की मात्रा को कम करने के लिए इसे सुखाया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान पतियों का क्लोरोफिल (**Chlorophyll**) फियोफाइटिन (**Pheophytin**) में परिवर्तित हो जाता है जो प्रोटीन के साथ पॉलीफिनोल्स के संबंध में मदद करता है और कर्मैलेपन (**Acerbity**) को कम करता है।

4.7 छुटाई व श्रेणीकरण (Sorting & Grading): प्रसंस्कृत चाय की प्रकार, आकार, रंग इत्यादि के आधार पर छुटाई की जाती है तथा गुणवत्तानुसार श्रेणीकरण किया जाता है।

4.8 अंतिम फायरिंग (Final Firing): ऊपर वर्णित प्रसंस्करण प्रक्रियाओं से प्राप्त अंतिम उत्पाद (**Final product**) को भंडारण अथवा पैकिंग में भेजने से पहले उसमें नमी की मात्रा को 3% में नीचे लाने के लिए उसे 10 मिनट तक 104 डिग्री तापमान पर रखा जाता है। इस प्रक्रिया के अंतिम फायरिंग या गैपिंग (**Gapping**) कहते हैं।

चायंकन (CHAAYANKAN)

“चाय बागानों की निगरानी के लिए AI-आधारित व्यापक जियोस्पेशियल डेटा एनालिटिक्स”

**-चाय विकास टीम
टी बोर्ड कोलकाता**

27अगस्त, 2026-इस विशेष दिन पर, टी बोर्ड भारत ने नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO), अंतरिक्ष विभाग (DOS), भारत सरकार, तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT), राउरकेला के साथ एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) किया। इस सहयोग के साथ “चायंकन (CHAAYANKAN): चाय बागानों की निगरानी के लिए AI-आधारित व्यापक जियोस्पेशियल डेटा एनालिटिक्स” नामक एक महत्वाकांक्षी अनुसंधान और विकास परियोजना की शुरुआत हो रही है।



27.08.2026 को टी बोर्ड भारत, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC)-भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO), अंतरिक्ष विभाग (DOS), भारत सरकार और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT), राउरकेला के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) का आदान-प्रदान।

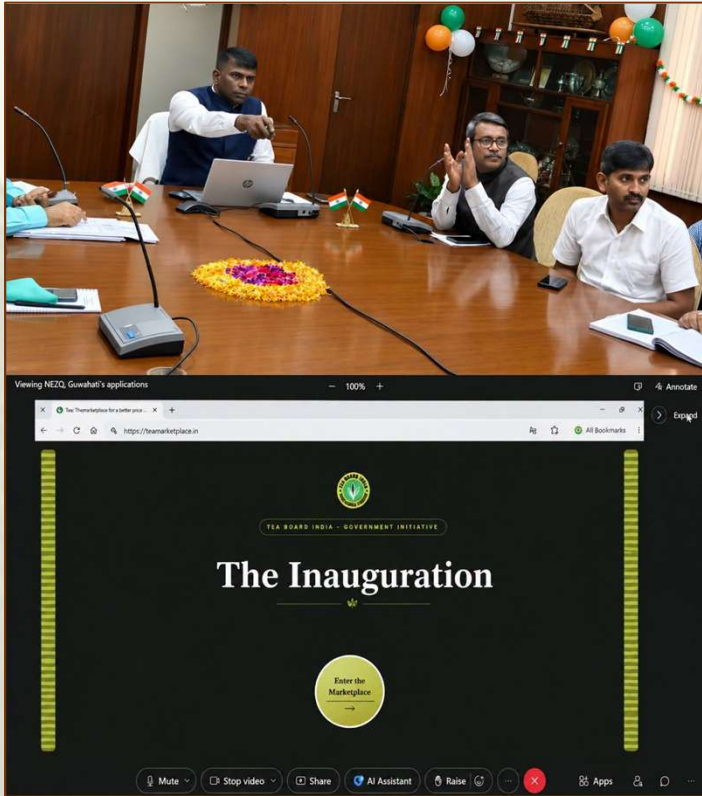
अप्रैल 2026 से मार्च 2029 तक चलने वाली इस परियोजना को देश के मुख्य चाय उत्पादक इलाकों में लागू किया जाएगा। यह पहल उपग्रहों और यूएवी के हाइपरस्पेक्ट्रल और ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग डेटा, ज़मीनी अवलोकनों, मौसम संबंधी इनपुट और कीट-विज्ञान संबंधी डेटासेट का उपयोग करके उन्नत एआई/एमएल पद्धतियों के माध्यम से चाय बागान की निगरानी में क्रांतिकारी बदलाव लाना चाहती है।

“चायंकन” के उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- 1) चाय उगाने वाले क्षेत्रों की ऑटोमैटिक मैपिंग के लिए एआई/एमएल एल्गोरिदम का विकास।
- 2) हाइपरस्पेक्ट्रल डेटा का उपयोग करके जैविक और अजैविक तनाव की निगरानी का पता लगाना और उसका स्वचालन करना
- 3) चाय बागानों को प्रभावित करने वाले मुख्य कीटों और रोगों का पूर्वानुमान।
- 4) ड्रोन और उपग्रह-आधारित हाइपरस्पेक्ट्रल सूचकांकों के माध्यम से हरी पत्ती की उपज का आकलन।

यह अग्रणी पहल चाय उद्योग के सामने आने वाली कुछ सबसे गंभीर समस्याओं, जैसे फसल के तनाव, कीट नियंत्रण और उपज के अनुमान, का समाधान करने की उम्मीद है। ये तकनीकी उपाय न सिर्फ उत्पादकता और स्थिरता को बढ़ाएंगे, बल्कि भविष्य की नीतियों के निर्धारण के लिए एक ठोस डेटा संग्रह भी तैयार करेंगे। अत्याधुनिक जियोस्पेशियल एनालिटिक्स और एआई-संचालित समाधानों को अपनाकर, टी बोर्ड ने इस सेक्टर को आधुनिक बनाने तथा वैश्विक चाय अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति को मजबूत करने के अपने संकल्प को एक बार फिर दोहराया है।

टी मार्क का विमोचन



श्री सी.मुरुगन ,उपाध्यक्ष टी बोर्ड द्वारा
टी मार्क का विमोचन




**EMPOWERING CONSUMERS
— TO —
MAKE THE RIGHT CHOICE**

LOOK FOR THE TEA MARK
Choose Authentic, Choose Genuine Indian Tea



ABOUT TEA MARK

Tea Mark is a voluntary quality certification scheme introduced by Tea Board India to assure the quality, standard and origin of Indian teas. It helps consumers identify genuine Indian tea.

ASSURED ORIGIN Genuine Indian tea from gardens	TRANSPARENCY End-to-end transparency from garden to cup	QUALITY TESTED Every batch tested for all FSSAI parameters in approved laboratories	FSSAI COMPLIANT Follows food safety standards (FSSAI)	GENUINE INDIAN TEA No fake labels	CONSUMER CONFIDENCE Empowering you to make the right choice
--	---	---	---	---	---

LAUNCHING ON
15 AUGUST 2026

Look for the Tea Mark. Shop Genuine Indian Tea.
www.teamarketplace.in













21 मई अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर कार्यक्रम

टी बोर्ड ने 21 मई को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 2026 मनाया। इस वर्ष इस दिन का विषय "चाय को बनाए रखना, समुदायों का समर्थन करना" था। चाय के बागानों और चाय समुदायों से काफी दूर होने के बावजूद, कोलकाता मुख्यालय के अधिकारियों ने हमारे समाज के उभरते नागरिकों, बच्चों, झुग्गी-झोपड़ियों और अनाथालयों के बीच आउटरीच कार्यक्रमों में भाग लेकर इस विषय में अपना योगदान दिया।

- समुदायों का समर्थन: सेव द चिल्ड्रन



कोलकाता के टी बोर्ड के छह अधिकारियों की टीम ने लड़कियों के लिए बने दो होम्स - ठाकुरपुकुर में "सेव द चिल्ड्रन" और टोपसिया में "नव जीवन" - का दौरा किया।

- समुदायों का समर्थन: वृद्धाश्रम



अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कार्यक्रम के अवसर पर नवनीर वृद्धाश्रम के बुजुर्गों को चाय, उपहार और भोजन के पैकेट बांटे गए।



- समुदायों का समर्थन: कलकत्ता डायोसिस के अधीन एक केयर एंड सपोर्ट सेंटर, अरुणिमा हॉस्पिस

टीम द्वारा दौरा किया गया पहला अनाथालय 'अरुणिमा हॉस्पिस' था, जिसमें सचिव व टीम शामिल



- समुदायों का समर्थन: दुरबार महिला समन्वय समिति डीएमएससी



राजभाषा गतिविधियाँ

अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस को समारोहित करने हेतु टी बोर्ड के सिलीगुड़ी कार्यालय में दिनांक 15.05.2026 को आयोजित हिन्दी निबंध प्रतियोगिता



अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस को समारोहित करने हेतु टी बोर्ड के सिलीगुड़ी कार्यालय में दिनांक 15.05.2026 को आयोजित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता



अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस को समारोहित करने हेतु टी बोर्ड मुख्यालय कोलकाता में पुरस्कार वितरण



अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस को समारोहित करने हेतु टी बोर्ड मुख्यालय कोलकाता में पुरस्कार वितरण



राजभाषा कार्यशाला कून्नूर



मुख्यालय, कोलकाता में राजभाषा कार्यशाला में अधिकारियों की उपस्थिति



यादगार भोपाल

-श्रीमती श्रीला बंदोपाध्याय

विकास अधिकारी,
टी बोर्ड कोलकाता

25 दिसंबर 2024 का दिन था, नई दिल्ली में कड़ाके की ठंड वाला क्रिसमस का दिन। हमें जल्द से जल्द भोपाल पहुँचना था और हम इस नई जगह पर जाने के लिए बहुत उत्साहित थे। हमने बिना किसी पक्की योजना के ही अपनी यात्रा शुरू कर दी। सड़क हमें बुला रही थी!

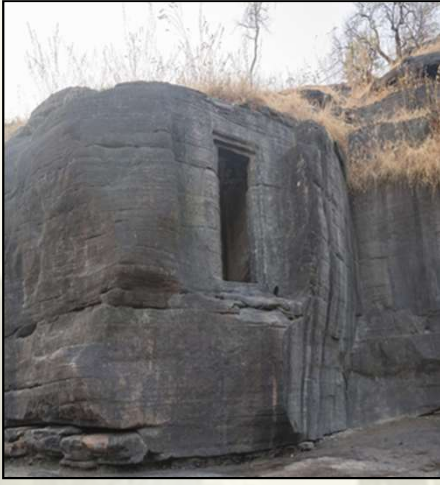
यात्रा शुरू करने से पहले, आइए इस जगह के बारे में कुछ जानकारी जान लें। भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी है, जो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। यह मध्य भारत की पहाड़ियों के बीच बसा एक खूबसूरत 'टियर-2' शहर है, जिसकी आबादी लगभग 15 लाख है। भोपाल की स्थापना 11वीं सदी के मालवा राजा भोज ने की थी और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया। यह देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 750 किलोमीटर दूर है, जहाँ से हमारी यात्रा शुरू हुई। 'झीलों का शहर' (City of Lakes) के नाम से मशहूर भोपाल अपनी Upper और Lower Lake के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जिनमें Upper Lake बड़ी है। हालाँकि यह 1980 के दशक में हुई गैस त्रासदी के लिए बदनाम रहा है, लेकिन आज यह भारत के सबसे तेज़ी से बढ़ते और फलते-फूलते शहरों में से एक है। यह अपनी मुस्लिम वास्तुकला के लिए भी काफी लोकप्रिय है; यहाँ स्थित 'ताज-उल-मस्जिद' एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है।

हमने कार से भोपाल जाने का फैसला किया और हमारी यात्रा सुबह लगभग 11 बजे शुरू हुई। हम दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से गए, हरियाणा और राजस्थान से होते हुए कोटा पहुँचे और वहाँ से NH 52 पकड़कर झालावाड़ और ब्यावरा जैसे छोटे कस्बों से गुज़रते हुए भोपाल पहुँचे। पहला दिन ज्यादातर बिना किसी परेशानी के बीता क्योंकि एक्सप्रेसवे बहुत बढ़िया था। कोटा के बाद, अरावली रेंज से गुज़रते हुए सड़क थोड़ी पहाड़ी हो गई। अंधेरा होने लगा था, इसलिए हमने झालावाड़ में रात बिताने का फैसला किया। हमें रात बिताने के लिए हाईवे के पास एक होटल मिल गया।

अगले दिन सुबह-सुबह हमने फिर से भोपाल के लिए अपना सफ़र शुरू किया और दोपहर तक वहाँ पहुँच गए। हमने भोपाल के मुख्य रेलवे स्टेशन के पास, यानी शहर के बीच में एक होटल लेने का फ़ैसला किया, क्योंकि वहाँ से शहर के दूसरे हिस्सों में जाना हमारे लिए सबसे आसान होता। शहर काफ़ी साफ़-सुथरा लग रहा था। दिसंबर के आखिर में दिल्ली की कड़ाके की ठंड के मुकाबले यहाँ का मौसम काफ़ी सुहावना था। उस समय बारिश हो रही थी। सफ़र के बाद हम काफ़ी थक गए थे, इसलिए उस दिन हमने आराम करने का फ़ैसला किया।

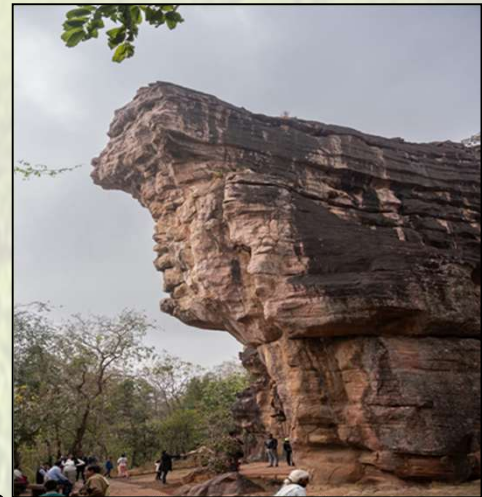
अगले दिन हमने अपना काम पूरा किया। उसके बाद वाले दिन, हमने शहर घूमने का फ़ैसला किया। ज़ाहिर है, हमारी पहली मंज़िल मशहूर सांची स्तूप थे। यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसे मौर्य सम्राट अशोक ने तीसरी सदी BCE में बनवाया था। उम्मीद है आपको हमारे 200 रुपये के नोट पर बनी यह इमारत याद होगी! यह भोपाल के पास रायसेन ज़िले में है। सांची तक का सफ़र बहुत खूबसूरत था; रास्ते में हमें ऊँचे-नीचे पहाड़ों और उनके बीच से गुज़रती घुमावदार सड़कें देखने को मिलीं, जो भारत के इस इलाके में आम बात है। वहाँ हमने बौद्ध वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना देखा, जिसमें स्तूप की दीवारों पर बुद्ध के जीवन से जुड़ी बारीक नक्काशी और लेख बने हुए थे। सांची में 3 स्तूप हैं; स्तूप नंबर 1 और 3 एक-दूसरे के पास हैं, जबकि स्तूप 2 थोड़ा पृथक है। थाईलैंड, म्यांमार और दक्षिण कोरिया जैसे कई देशों से धार्मिक मकसद से बहुत से लोग इस मशहूर जगह को देखने आते हैं।





इसके बाद हम उदयगिरि गुफाओं में गए, जो सांची स्तूप से लगभग 10 किलोमीटर दूर हैं। यहाँ चट्टानों को काटकर बनाई गई लगभग 20 गुफाएँ हैं, जिनमें हिंदू देवी-देवताओं, जैसे शिव और विष्णु की प्राचीन मूर्तियाँ और चित्र बने हैं। इन्हें गुप्त काल में, लगभग 5वीं सदी **BCE** में बनाया गया था। हालाँकि ये सांची स्तूप जितने मशहूर नहीं हैं, फिर भी यहाँ जाना फायदेमंद रहा क्योंकि हमें हिंदू और जैन देवी-देवताओं की कई प्राचीन नक्काशी देखने को मिली। साथ ही, हम आसानी से पहाड़ी की चोटी तक जा सके, जिसके निचले हिस्से में शिलालेख बने हुए हैं। वहाँ ऊपर जाने का रास्ता चिह्नित था। पहाड़ी की चोटी से दिखने वाले नज़ारे अद्भुत थे।

अगले दिन हम भोपाल के दक्षिणी हिस्से में मौजूद भीमबेटका गुफा की पेंटिंग्स देखने गए। यह भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दूर ओबैदुल्लागंज शहर के पास है। रातापानी वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी में मौजूद यह जगह एक और **UNESCO** वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें लगभग 7 पहाड़ियाँ और 750 से ज़्यादा रॉक शेल्टर (चट्टानी आश्रय) हैं।



भीमबेटका में जानवरों के आकार का

इनमें से कुछ पेंटिंग्स पुरापाषाण (**Paleolithic**) और मध्यपाषाण (**Mesolithic**) काल की हैं। इन पुरानी पेंटिंग्स में दिखाए गए जीवन्त दृश्य हमें यहाँ के शुरुआती इंसानों की रोजमर्रा की ज़िंदगी की झलक दिखाते हैं। शिकार और भोजन इकट्ठा करने से लेकर रीति-रिवाजों और उत्सवों तक, प्राकृतिक रंगों के गहरे लाल और सुकून देने वाले सफ़ेद रंग हमें उन शुरुआती कलाकारों की कहानी में ले जाते हैं जिन्होंने इन गुफाओं को अपना कैनवास बनाया था। इन रॉक शेल्टर की यात्रा वाकई बहुत दिलचस्प थी; ये प्राकृतिक रूप से बनी संरचनाएँ हैं और इनमें कई पुरानी रॉक पेंटिंग्स हैं जो शिकार-संग्रह करने वाले समाज से आधुनिक युग तक इंसानों के विकास को दिखाती हैं।

भीमबेटका से लौटते समय, हमने भारत के सबसे बड़े अखंड (एक ही पत्थर से बने) शिव लिंगों में से एक वाले भोजेश्वर मंदिर के दर्शन किए, जो 11वीं सदी का है और बेतवा नदी के किनारे स्थित है।



यह **UNESCO** की हेरिटेज साइट भी है। इस मंदिर का निर्माण राजा भोज के शासनकाल में शुरू हुआ था, लेकिन अज्ञात कारणों से इसे बीच में ही छोड़ दिया गया, जिससे यह एक अधूरा मंदिर रह गया। यह मंदिर बेहतरीन आर्किटेक्चरल क्रिएटिविटी और भव्यता का उदाहरण है। इसका विशाल आकार, बहुत बड़ा शिवलिंग और बारीक नक्काशीदार हिस्से परमार वंश की कलात्मक और इंजीनियरिंग क्षमता को दिखाते हैं, जो प्राचीन भारत में मंदिर निर्माण कला का एक अनोखा उदाहरण है।

भोजेश्वर मंदिर से बेतवा नदी का मनमोहक नज़ारा

अगला दिन भोपाल शहर में घूमने लायक जगहों के लिए रखा गया था। हमने 'इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय' (जिसे '**National Museum of Mankind**' भी कहा जाता है) देखा; यह एक ऐसा संग्रहालय है जो समय और स्थान के साथ मानव जाति की कहानी को दिखाता है। यह भारत का सबसे बड़ा एथनोग्राफिक (मानव-जाति विज्ञान से जुड़ा) म्यूजियम है, जिसे 1977 में बनाया गया था।

आखिरकार, हम भोपाल की **Upper Lake** देखने गए। 31 वर्ग किलोमीटर में फैली **Upper Lake** या भोजताल, शायद भारत की सबसे पुरानी इंसानों द्वारा बनाई गई झील है, जिसे 11वीं सदी में राजा भोज ने बनवाया था।

कुल मिलाकर, इस छोटी और अचानक बनी यात्रा के ज़रिए हमने "भारत के दिल" (**Heart of India**) के एक छोटे से हिस्से को देखा, जहाँ मनमोहक प्रकृति की गोद में इंसानी सभ्यता के इतिहास की झलक देखने को मिली। यह आँखों और मन, दोनों के लिए एक ताज़गी भरा अनुभव था। इस ट्रिप ने हमें सच में "अतुल्य भारत" (**Incredible India**) की खूबसूरती का एक हिस्सा दिखाया, जिसे हम अपना घर कहते हैं और जो हमें हमेशा हैरान कर देता है। भारत के इस हिस्से की यात्रा ज़रूर करें और यकीन मानिए, यह आपको निराश नहीं करेगा!

भारत में AI कानूनों और नियमों का महत्व

- मीनाक्षी दास, कानूनी सलाहकार

"आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी बौद्धिक क्षमता का एक प्रमाण है; सोचने की शक्ति ने ही इंसानों को औज़ार और तकनीकें बनाने में सक्षम बनाया। आज, इन औज़ारों और तकनीकों में भी सीखने और सोचने की क्षमता आ गई है।"

-श्री नरेंद्र मोदी, प्रधान मंत्री

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एक ऐसी क्रांतिकारी तकनीक के रूप में उभर रही है, जिसमें इंसानी जिंदगी को बदलने की अपार क्षमता है। डिजिटलाइजेशन के दौर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब सिर्फ भविष्य की कोई चर्चा वाली बात नहीं रह गई है; यह गवर्नेंस, फाइनेंस, हेल्थकेयर और दैनिक कंज्यूमर व्यवहार का हिस्सा बन चुकी है। जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और समाज के अलग-अलग हिस्सों में घुल-मिल रही है, यह बात ज़्यादा समझी जा रही है कि AI का इस्तेमाल नैतिक और जिम्मेदार तरीके से हो, और इससे पूरे समाज को फायदा पहुँचे। कई अहम बातें भारत में AI को रेगुलेट करने की ज़रूरत पर जोर देती हैं। इसलिए, भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की ज़रूरत तेज़ी से ज़रूरी हो गई है।

भारत में AI से जुड़े प्रमुख कानून:

भारत में अभी तक AI के लिए कोई अलग और सर्वग्राही कानून नहीं है। हालाँकि, AI को मौजूदा कानूनी और नीतिगत ढाँचों के तहत इस प्रकार नियंत्रित किया जाता है:

1. इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000: यह भारत में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, लेन-देन और डिजिटल कॉमर्स को नियंत्रित करने वाला मुख्य कानून है। यह उन साइबर अपराधों के लिए सजा का प्रावधान करता है जिनमें AI का इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि पहचान की चोरी (**identity theft**), धोखाधड़ी, प्राइवसी का उल्लंघन, AI से बने डीपफेक के ज़रिए अश्लील सामग्री का प्रकाशन, और इंटरमीडियरी की जवाबदेही।

फरवरी 2026 में 'इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइन्स एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स, 2021' ('IT रूल्स') लाकर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में नया संशोधन किया गया है। इन नियमों में AI को सीधे तौर पर परिभाषित या उससे संबंधित प्रावधान नहीं किए गए हैं, लेकिन "सिंथेटिकली जेनरेटेड इन्फॉर्मेशन" (SGI) शब्द को परिभाषित करके, इसमें AI और AI से बने ऑडियो-विज़ुअल प्रोडक्ट्स को शामिल किया गया है।

2. कॉपीराइट एक्ट, 1957: कॉपीराइट सुरक्षा से जुड़ा भारत का मुख्य कानून कंप्यूटर से बनाए गए कामों पर भी लागू होता है। हालाँकि, यह AI सिस्टम जैसे आर्टिफिशियल व्यक्तियों को कॉपीराइट-योग्य कामों का लेखक (**authorship**) मानने का अधिकार नहीं देता है। यह कानून 'फेयर यूज' (उचित उपयोग) के तहत छूट की कई श्रेणियां भी बताता है, जो AI सिस्टम की ट्रेनिंग के लिए काम की हो सकती हैं।

3. भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970: पेटेंट अधिनियम के तहत **AI** से जुड़े आविष्कारों को सुरक्षित किया जा सकता है, लेकिन केवल तभी जब **AI** को किसी इंसान द्वारा बनाए गए टूल के तौर पर देखा जाए। **AI** सिस्टम को आविष्कारक का नाम नहीं दिया जा सकता, और अमूर्त एल्गोरिदम या स्टैंडअलोन सॉफ्टवेयर को सुरक्षा के दायरे से बाहर रखा गया है।
4. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019: यह उपभोक्ताओं को गलत व्यापारिक तरीकों से बचाता है। इसमें 'डार्क पैटर्न' से बचाव भी शामिल है, जिसके लिए 'डार्क पैटर्न की रोकथाम और नियमन के लिए दिशानिर्देश' जारी किए गए हैं। ये दिशानिर्देश भ्रामक डिज़ाइनों (जैसे एल्गोरिदम-आधारित डिज़ाइन और **AI** से चलने वाले गुमराह करने वाले अनुभव पैटर्न) पर रोक लगाते हैं।
5. भारतीय न्याय संहिता, 2023: इसमें **AI** के गलत या दुर्भावनापूर्ण इस्तेमाल के लिए आपराधिक दायित्व से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं।
6. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023: यह अधिनियम "डेटा फिड्यूसरीज़" पर सूचित सहमति, सुरक्षा उपायों और डेटा उल्लंघन की सूचनाओं के लिए दायित्व डालता है। साथ ही, यह "महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूसरीज़" को पूर्वाग्रह का पता लगाने और उसे कम करने के लिए एल्गोरिथम ऑडिट और डेटा सुरक्षा प्रभाव आकलन करने के लिए भी बाध्य करता है।

AI की रेगुलेटरी निगरानी:

वर्तमान में, भारत में **AI** के लिए कोई खास रेगुलेटर नहीं है। इसलिए, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, विभिन्न लागू कानूनों के तहत बड़ी प्रवर्तन कार्रवाई के हिस्से के रूप में प्रवर्तन किया जाता है:

- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (**MeitY**): भारत में **AI** का कामकाज कई प्रमुख संस्थानों के बीच बंटा हुआ है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (**MeitY**) नोडल एजेंसी के तौर पर काम करता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (**RBI**): वित्तीय क्षेत्र को रेगुलेट कर रहा है और बैंकिंग में जिम्मेदार **AI** अपनाए जाने को सुनिश्चित कर रहा है।
- डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ़ इंडिया (**DPB**) : डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 को लागू करने के लिए डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ़ इंडिया (**DPB**) की स्थापना की गई है।
- नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया): भारत सरकार का पॉलिसी थिंक टैंक, जो **AI** पर पॉलिसी से जुड़ी सलाह देता है।

दूसरे देशों में AI से जुड़े कानूनों का तुलनात्मक विश्लेषण :

चीन ने AI टेक्नोलॉजी के लिए नियम लागू करने में पहले ही बढ़त बना ली है। सामाजिक मूल्यों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जेनरेटिव AI के नतीजों को रेगुलेट करने पर उनका ध्यान, संभावित नुकसान को रोकने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण दिखाता है। इसी तरह, यूरोपीय संघ, कनाडा और ब्राज़ील समेत दूसरे देश भी जोखिमों से निपटने और AI सिस्टम को उनके संभावित खतरे के स्तर के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए सर्वग्राही AI नियम बना रहे हैं। साथ ही, ऑस्ट्रेलिया सरकार भी AI सेक्टर को रेगुलेट करने की अपनी कोशिशें तेज़ कर रही है।

AI का गलत इस्तेमाल: अर्थव्यवस्थाओं और सरकारों के लिए खतरा:

AI के संभावित गलत इस्तेमाल और अर्थव्यवस्थाओं व सरकारों को अस्थिर करने की इसकी क्षमता को लेकर विशेषज्ञ ने गहरी चिंता जताते हैं। सिर्फ़ इंडस्ट्री पर खुद को रेगुलेट करने के लिए निर्भर रहना काफ़ी नहीं माना जाता है। इससे पहले कि टेक्नोलॉजी नियंत्रण से बाहर हो जाए, ज़रूरी सीमाएँ तय करने के लिए सरकार का हस्तक्षेप ज़रूरी है।

निष्कर्ष:

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत का सफर एक स्पष्ट विज़न और निर्णायक कदमों को दर्शाता है। फरवरी 2026 में, भारत ने 'ग्लोबल साउथ' में पहली बार 'AI इम्पैक्ट समिट 2026' की मेजबानी की। इस समिट का आदर्श वाक्य था - "सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय"। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विज़न के अनुसार, टेक्नोलॉजी का अंतिम लक्ष्य 'सबका कल्याण, सबकी खुशी' होना चाहिए। टेक्नोलॉजी मानवता की सेवा के लिए है, न कि उसकी जगह लेने के लिए। AI भारत की 'विकसित भारत 2047' की यात्रा में बदलाव लाने वाला एक बड़ा अवसर है। 2026-27 के केंद्रीय बजट में IndiaAI मिशन के लिए ₹1,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टैक्स इंसेंटिव, सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट और नौकरी से जुड़ी स्किल कमेटियों के ज़रिए AI क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है।

भारत को AI के नैतिक और ज़िम्मेदार इस्तेमाल को सुनिश्चित करने, संभावित नुकसान से बचाव करने और राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा करने के लिए इसे तुरंत रेगुलेट करने की ज़रूरत है। इसके लिए मज़बूत कानूनों, कानूनों के अच्छे नियंत्रण और नियम बनाने में टीमवर्क की ज़रूरत है। भारतीय अदालतें भी अधिकारों की सुरक्षा के लिए इन कानूनों की समीक्षा करेंगी। सोच-समझकर बनाए गए कानूनों और उनके सही इस्तेमाल से, भारत न केवल AI का बड़ा उपभोक्ता बन सकता है, बल्कि निष्पक्ष AI रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के मामले में अग्रणी भूमिका भी निभा सकता है।

भारत और इंडिया में अंतर

- रबीन्द्र झा,

चालक, टी बोर्ड, कोलकाता

भारत हमारा देश है, जिसे संविधान में "भारत अर्थात इंडिया" कहा गया है। यद्यपि भारत और इंडिया एक ही राष्ट्र के दो नाम हैं, फिर भी सामान्य रूप से इन दोनों शब्दों का प्रयोग अलग-अलग भावनाओं और जीवन-शैलियों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है।

"भारत" शब्द हमारी संस्कृति, परंपराओं, ग्रामीण जीवन, आध्यात्मिकता और भारतीय मूल्यों का प्रतीक माना जाता है। भारत की पहचान उसकी विविधता, पारिवारिक व्यवस्था, लोक कलाओं, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था और सामाजिक एकता से जुड़ी हुई है। यहाँ लोगों के जीवन में सादगी, सहयोग और सांस्कृतिक विरासत का विशेष महत्व है।

दूसरी ओर, "इंडिया" शब्द आधुनिकता, शहरीकरण, तकनीकी विकास, औद्योगीकरण और वैश्विक पहचान को दर्शाता है। बड़े शहर, आधुनिक शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, व्यापार और तेज़ जीवन-शैली को अक्सर इंडिया की तस्वीर के रूप में देखा जाता है। इंडिया विश्व मंच पर उभरती हुई आर्थिक और तकनीकी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है।

हालाँकि, यह अंतर केवल दृष्टिकोण और प्रतीकात्मक अर्थों तक सीमित है। वास्तव में भारत और इंडिया अलग-अलग देश नहीं हैं, बल्कि एक ही राष्ट्र के दो पहलू हैं। भारत अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक जड़ों से शक्ति प्राप्त करता है, जबकि इंडिया आधुनिक विकास और प्रगति की दिशा में आगे बढ़ता है। किसी भी राष्ट्र के समग्र विकास के लिए परंपरा और आधुनिकता दोनों का संतुलन आवश्यक है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत और इंडिया की आधुनिक उपलब्धियों को साथ लेकर चला जाए। जब ग्रामीण और शहरी क्षेत्र समान रूप से विकसित होंगे, तब देश और अधिक सशक्त बनेगा। अंत में कहा जा सकता है कि भारत और इंडिया में वास्तविक अंतर नहीं, बल्कि सोच और अभिव्यक्ति का अंतर है। दोनों मिलकर हमारे देश की संपूर्ण पहचान बनाते हैं। इसलिए हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करते हुए आधुनिक विकास को भी अपनाना चाहिए, ताकि हमारा राष्ट्र निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके।

माँ

माँ के लिए हर दिन है।
 माँ ही से तो हर दिन है।
 कोख में पालनेवाली,
 हर पीड़ा सहकर जन्म देने वाली,
 हर कष्ट सहकर मुस्कराने वाली,
 हरहाल में हिन्नत रखने वाली,
 हिम्मत न हारने वाली,
 रुखी सूखी खाने वाली,
 फिर भी हँसीखुशी रहने वाली,
 सबका ख्याल रखने वाली,
 सबकी बात सुनने वाली,
 सबकी बात सहने वाली,
 मुँह से फिर भी कुछ न कहने वाली,
 आंसुओं को हँस के छुपानेवाली,
 ममता का आंचल थामनेवाली,
 पलकों में सपनें बुननेवाली,
 आशाओं का दीप जलाने वाली,
 त्यौहारों का रंग जमाने वाली,
 सबका भविष्य संवारने वाली,
 ये माँ ही तो सब कुछ करने वाली।
 माँ के चरणों में अर्पित।

पिता का प्यार

पिता का प्यार कुछ ऐसा होता है
 बिना बोले जैसे सब महसूस होता है।
 छोटी छोटी बातों की फिकर,
 छोटी छोटी बातों की जिकर,
 पिता का प्यार कुछ ऐसा होता है।
 अपनी भावनाओं को हृदय में समेटे हुए
 अपने ही अंदाजमें कहते हुए,
 कमजोर आंखों को छिपाते हुए,
 बहुत कुछ कहने की लालसा को छिपाते हुए,
 मजबूत स्वयं को दर्शाते हुए, मोम के
 दिल को संभालते हुए,
 पिता कुछ कहना चाहता है।

- आनंद राय, कनिष्ठ अनुवादक
टी बोर्ड, नई दिल्ली

चाय

-अर्जून कुमार पास्वान
सहायक निदेशक (राजभाषा)

चाय, चाय, चाय ।
सुबह हो या शाम,
हर पल भाये चाय।

चाय, चाय, चाय ।
मेहमानों की स्वागत में,
पेश होती है, चाय।

चाय, चाय, चाय ।
बूढ़े हो या जवां,
हर उम्र की पसंद है, चाय।
चाय, चाय, चाय ।
फुर्ती दिलाये चाय,
आलस भगायें चाय।

चाय, चाय, चाय ।
सर्दियों में गरमाहट दिलाये
चाय,
थकान मिटाये चाय।
चाय, चाय, चाय ।
क्या खूब है देश-दुनिया में,
छाई है भारतीय चाय।

तेरे दुनिया के कई रंग हज़ार

-सुरजित चंदा
सहायक

तेरे दुनिया के कई रंग हज़ार
ऐ मेरे मालिक,
मैं देखूँ जिधर भी..
ना मिले मुझे मतलब
तेरे दुनिया के कई रंग
हज़ार...

सज्जन रह गए गरीब की
कुटिया में...

दुर्जन चढ़े सोने के सिंहासन
किसान जो उगाए फसन सोने
का

रक्षक जो बने हैं भक्षक
मालिक मेरे तुम रह गए मूक
दर्शक

तेरे दुनिया के कई रंग हज़ार
कुछ थे जो करके वादे साथ
चले थे

कुछ साथ होके भी पिछे पड़े थे
मैं तो चला था बदलने दुनिया
को

वक्त की करवट ने बदल दी
मेरी ही हालत को
तेरे दुनिया के कई रंग हज़ार

टी बोर्ड की गतिविधियाँ



NCVET द्वारा अनुमोदित कौशल पाठ्यक्रमों का शुभारंभ





टी बोर्ड भारत
TEA BOARD INDIA

For Tea Board certified 'Tea Mark' teas,
please visit:

<https://teamarketplace.in>



Share the
Gift of Goodness!

Because every occasion
is better with **many** cups of Indian tea.



Thoughtful gifts. Timeless taste.



World's Gold Standard

